रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022025-261198
CG-DL-E-20022025-261198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 890] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946
No. 890] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

का.आ. 897(अ).— केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 में-

(i) उपखंड (ज) में, शब्दों "नैनो उर्वरक" के स्थान पर "संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से नैनो उर्वरक और कार्बनिक कार्बन वर्धक" को रखा जाएगा।

(ii) उपधारा (णण) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(णणक) संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से कार्बनिक कार्बन वर्धक से है किण्वन प्रक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद या उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित कोई भी कार्बनिक पदार्थ अभिप्रेत है, जो मिट्टी या पौधे की वृद्धि पदार्थ के माध्यम पर लागू होने पर कार्बनिक कार्बन को बढ़ाता है या बनाए रखता है जिसका मिट्टी और पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जिसे आदेश की

अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट किया गया है।"(णणक) संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से कार्बनिक कार्बन वर्धक से है किण्वन प्रक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद या उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित कोई भी कार्बनिक पदार्थ अभिप्रेत है, जो मिट्टी या पौधे की वृद्धि पदार्थ के माध्यम पर लागू होने पर कार्बनिक कार्बन को बढ़ाता है या बनाए रखता है जिसका मिट्टी और पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और जिसे आदेश की अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. उक्त आदेश में अनुसूची 7 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची 8

"संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से कार्बनिक कार्बन संवर्द्धक"

[फा. सं. 3-4/2022 उर्व. विधि]

फ्रेंकलिन एल. खोबुंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक सा.कि.नि. 758 (अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 5492 (अ) तारीख 19 दिसंबर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 897(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985 (hereinafter referred to as the said order, in clause 2, -

(i) in sub-clause (h), for the words "and nano fertiliser", the words "nano fertiliser and organic carbon enhancers from Compressed Bio Gas plants" shall be substituted.

(ii) after sub- clause (oo), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(ooa) Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas plants means any organic material produced by fermentation process either as a main product or by product, which increases or maintains the organic carbon when applied to soil or plant grow material media having favorable effect on soil and plant growth and is specified in Schedule VIII of the Order.

3. In said Order, after Schedule VII, the following Schedule shall be inserted, namely, -

"Schedule VIII

"Organic Carbon Enhancer from Compressed Bio Gas plants"

[F. No. 3-4/2022 Fert Law]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note: The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (ii) *vide* G.S.R. number 758 (E) dated 25th September,1985 and was last amended *vide* number S.O. 5492 (E) dated 19th December, 2024

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.